

डिकी एवं मुकदमे ईबतदाई  
(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 176/2025

गुरविन्द्र सिंह पुत्र सुखवीर सिंह जाति जटसिख निवासी चकप्रतापनगर तहसील.  
संगरिया जिला हनुमानगढ

- वादी

बनाम

- 1 सुखवीर सिंह पुत्र जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी चकप्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
  - 2 हरपिन्द्र कौर पुत्री सुखवीर सिंह पत्नी जसदीप सिंह जाति जटसिख निवासी खारा किलयांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर
  - 3 कमलदीप कौर पुत्री सुखवीर सिंह जाति जटसिख निवासी चकप्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
- तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

- प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर. ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रुबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्ध वकील वादी व श्री विवेक बुडानिया वकील प्रति स. 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि चक 8 एम. जे.डी. खाता स. 137/97 खाता सुखवीर सिंह ज.स. 2072-75 में प्रति स. 1 के नाम दर्ज कुल 8.3310 है0 आराजी में से 2.504 है0 आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार इसका राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम अंकन किया जाकर प्रति स. 1 का हिस्सा कम किया जावे। व वादी का खाता दावा की दफा 4 के अनुसार अलग कायम किया जावे। दावा की दफा 4 में दर्ज आराजी निम्नप्रकार से है:-

वादी गुरविन्द्र सिंह पुत्र सुखवीर सिंह का कब्जा:-

चक 8 एम.जे.डी. खाता स. 137/97  
153/183 39 1/1/.228 1/2/.025 गै.मु.रास्ता 10/.253  
152/184 40 11/.253 20/.253 21/.253 = 1.265 है0  
5/1/.202 5/2/.025 गै.मु.खाला 6/.253  
15/.253 16/.253 25/.253 = 1.239 है0  
कुल = 2.504 है0

नोट:- यदि प्रश्नगत भुमि बैक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही अमल दरामद किया जावे।  
निज.......... नल.......... मुब्लिक.......... निल.......... बाबत्.  
.......... निल.......... खर्चा मुकदमे के मय शुद वा शरह फीसदी  
सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.......... अदा करें।  
बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक..12..5..2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलैक्टर एवं  
पीठासीन अधिकारी